न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैया लाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 49/2017

गुरदीप सिंह पुत्र हजूर सिंह जाति जटसिख निवासी 11 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।
2. सुखविन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह
3. अवतार सिंह पुत्र इकबाल सिंह
4. चरणजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह
5. मनजीत कौर पत्नी बलदेव सिंह
6. अंग्रेज सिंह पुत्र बलदेव सिंह
7. परमजीत कौर पुत्री बलदेव सिंह

जाति जटसिख निवासी 11 वाई तह. व जिला श्रीगंगानगर।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर दिनांक 20.03.2017

उपस्थितिः—

श्री सुरेश अरोड़ा, अभिभाषक अपीलांट

श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

श्री गुरप्रताप सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3

निर्णय दिनांक 16.10.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत पेश कर चक 11 वाई के खाता संख्या 23/30 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 की उत्तरी—पश्चिमी

कूंट में से 10 गुणा 10 फीट रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में कोई रास्ता नहीं चल रहा है, न ही मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 में से होकर प्रार्थीगण अपनी भूमि में आते–जाते है। प्रार्थीगण ने तथ्य छुपाकर रास्ता की मांग की है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात् दिनांक 20.03.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 की उत्तरी कूंट में से 3 गुणित 3 मीटर का रास्ता स्वीकृत कर दिया। रास्ता में आने वाली भूमि के बदलमें डी एल सी की दर से दुगुनी राशि अप्रार्थीगण को दिलवाये जाने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश हुई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने गलत तथ्य पेश कर रास्ता स्वीकृत करवाया है। रेस्पोडेन्ट को जाने के लिए अपनी भूमि में पहले से ही रास्ता उपलब्ध है। रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में भूमि दिलाई जानी चाहिए थी। सुविधा अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना ही आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट को अपनी भूमि में जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 3 गुणित 3 मीटर का ही रास्ता स्वीकृत किया है एवं रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में डी एल सी की दर से राशि जमा करवाने के आदेश दिये है, जो उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रकरण का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलांट को मुख्य उज्र यह है कि रेस्पों. ने मु.नं. 21 में जाने के लिए रास्ता चाहा है जबकि मु.नं. 21 में लगता हुआ इनका मु.नं. 22 है जिसके लिए पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है। रेस्पों. अपने मु. नं. 22 से होकर मु.नं. 21 में जा सकते हैं, साथ ही मु.नं. 21 के लिए पूर्व से ही मु. नं. 9 व 10 के कि.नं. 21 से 25 में रास्ता स्वीकृत है। जब मु.नं. 21 के लिए पूर्व से ही रास्ता स्वीकृत है तो फिर मु.नं. 21 के किला विशेष के लिए पृथक से रास्ते की मांग का क्या औचित्य है? अपीलांट के अनुसार पूर्व से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध एवं चालू है तो सुविधा अनुसार दूसरा रास्ता नहीं दिया जा सकता। इन बिन्दुओ पर अधी. न्यायालय के निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया है। यहां यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि धारा 251क रा.का.अ. के तहत खातेदारी भूमि में नया रास्ता चाहे जाने पर वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता प्रमाणित होने के साथ–साथ रास्ते की अत्यन्तिक आवश्यकता प्रमाणित होनी चाहिए, साथ ही नया रास्ता दिया जाना किसी काश्तकार के द्वारा अपनी भूमि का सुविधाजनक उपभोग किया जाना नहीं है। प्रथम दृष्टया अधी. न्यायालय के निर्णय में इन समस्त बिन्दुओं पर एवं अपीलांट द्वारा उठाए गए उजरात पर अपना स्पष्ट अभिमत व्यक्त करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उपर वर्णित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए एवं तहसीलदार के स्तर के अधिकारी से उक्त विवेचन के मद्देनजर मौका निरीक्षण करवाकर दोनों पक्षों को सुनकर विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर